(2)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021/ (Bank Case)
Manual no- 75/2021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– आर्य समाज रोड़ कोटा एवं विज्ञान नगर, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री नटवर कुमार झा.

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री विजय चन्द्र जैन **(ऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः नसिया जी मंदिर के पास, दादाबाडी, कोटा (राज.)
   दूसरा पताः विजय दर्शन निवास, नसिया जी मंदिर रोड़, दादाबाडी, कोटा
2. श्रीमती रेखा जैन पत्नि श्री मनोज कुमार जैन **(सह–ऋणी)**
   पताः नसिया जी मंदिर के पास, दादाबाडी, कोटा (राज.)
   दूसरा पताः विजय दर्शन निवास, नसिया जी मंदिर रोड़, दादाबाडी, कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 08.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय-- आर्य समाज रोड एवं विज्ञान नगर, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने शाखा आर्य समाज रोड से ऋण खाता संख्या 3062896911 को दिनांक 18.02.2010 को 15,00,000/–(अक्षरेः रूपये पन्द्रह लाख मात्र), एवं शाखा विज्ञान नगर कोटा से ऋण खाता संख्या 3067915862 को दिनांक 01.05.2010 को 20,00,000/–(अक्षरेः रूपये बीस लाख मात्र) ऋण, कुल ऋण रूपये 35,00,000/–(अक्षरेः रूपये पेतीस लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री विजय चन्द्र जैन की आवासीय सम्पत्ति जो कि विजय दर्शन निवास, नसिया जी मंदिर रोड, दादाबाडी, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 988 वर्ग फीट है चतुःसीमा पूर्व में–आनन्द राठी की सम्पति, पश्चिम में– कृष्णगोपाल शर्मा का मकान, उत्तर में–श्री मनोज जैन का बाकी हिस्सा, दक्षिण में– 15 फीट चौड़ा रोड़,व आवासीय सम्पत्ति जो कि नसिया**

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राजस्थान)

जी मंदिर रोड, दादाबाडी, विस्तार योजनाकोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1625 वर्ग फीट है जो जर्ये विक्रय पत्र द्वारा श्री मनोज जैन का स्वामित्व है। चतुःसीमा पूर्व में–मनोज कुमार जैन का मकान, पश्चिम में– राम निवास शर्मा का मकान, उत्तर में–श्री मनोज कुमार का मकान, दक्षिण में– 20 फीट रोड़, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के आर्य समाज रोड से ऋण खाता संख्या 3062896911 को दिनांक 01.05.2018, एवं शाखा विज्ञान नगर कोटा से ऋण खाता संख्या 3067915862 को दिनांक 03.05.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के खाता संख्या 3067915862 को दिनांक 03.05.2018 व खाता संख्या 3062896911 को दिनांक 01.05.2018 तक बकाया कुल रूपये 30,20,281 रूपये (अक्षरेः– तीस लाख बीस हजार दो सौ इक्यासी रूपये मात्र।) व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को आर्य समाज रोड कोटा द्वारा दिनांक 11.01.2021 को एवं शाखा विज्ञान नगर कोटा द्वारा दिनांक 03.05.2018 रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को आर्य समाज रोड कोटा द्वारा दिनांक 11.01.2021 को एवं शाखा विज्ञान नगर कोटा द्वारा दिनांक 03.05.2018 रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को आर्य समाज रोड कोटा द्वारा दिनांक 11.01.2021 को एवं शाखा विज्ञान नगर कोटा द्वारा दिनांक 03.05.2018 रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री विजय चन्द्र जैन की आवासीय सम्पत्ति जो कि विजय दर्शन निवास, नसिया जी मंदिर रोड, दादाबाडी, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 988 वर्ग फीट है जो जर्ये विक्रय पत्र द्वारा श्री मनोज जैन का स्वामित्व है। चतुःसीमा पूर्व में–आनन्द राठी की सम्पति, पश्चिम में– कृष्णगोपाल शर्मा का मकान, उत्तर में–श्री मनोज जैन का बाकी हिस्सा, दक्षिण में– 15 फीट चौड़ा रोड़,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये

जिला रजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021को सुनाया गया ।

8/11/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)